

10/2
20

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी उपस्थित नहीं। - आशुतोष समय में हुई कार्रवाई नगरे जाने पर भी वकील वादी व वादी उपस्थित नहीं आये। पत्रावली अदम पंखी, अदम राजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली कुशल सुभाष मोहन काह लखीब, तन्मील दामिबल दफ्तर से।

S.M.
सहायक कलेक्टर
वीकानेर शहर

